अध्याय 21-विशेषाधिकार.

(क) विशेषाधिकार के प्रश्न.

अध्यक्ष की सम्मति.

164. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकेगा.

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना.

165. जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, सचिव को देगा. यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा.

विशेषाधिकार के प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें.

166. विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे.

(2) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक निर्बन्धित रहेगा.

(3) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित हो.

विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की रीति.

167. (1) यदि अध्यक्ष, नियम 164 के अधीन सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है, तो वह संबंधित सदस्य को पुकारेगा, जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा :

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 164 के अधीन अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो यदि वह आवश्यक समझे उस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना पढ़कर सुना देगा और कह देगा कि उसने सम्मति देने से इंकार किया है या वह विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराता :

परन्तु यह और भी कि यदि अध्यक्ष का विषय की अविलम्बनीयता के संबंध में समाधान हो जाय, तो वह प्रश्नों के निबटाये जाने के बाद बैठक के दौरान में किसी भी समय विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये जाने की अनुमति दे सकेगा.

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाय, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहेगा और तद्नुसार यदि कम से कम दस सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सूचित करेगा, कि अनुमति दी जाती है. यदि दस से कम सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है.

विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना.

168. यदि नियम 167 के अधीन अनुमति दे दी जाय, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी.

विशेषाधिकार का प्रश्न समिति को सौंपने की अध्यक्ष की शक्ति.

169. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार-समिति को सौंप सकेगा और इसकी सूचना यथासमय सभा को दी जायेगी.

प्रक्रिया का विनियमन

170. अध्यक्ष, विशेषाधिकार-समिति में या सभा में विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिये ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे.

(ख) सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि और रिहाई की अध्यक्ष को सूचना.

दण्डाधिकारी द्वारा सदस्य के बन्दीकरण निरोध आदि की अध्यक्ष को सूचना.

171. जब कोई सदस्य किसी दंड दोषारोप पर या किसी दण्ड अपराध के लिये बन्दी किया जाये या उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाये या किसी कार्यपालिका आदेश के अधीन निरुद्ध किया जाये तो यथास्थिति सम्पर्क न्यायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी तुरन्त ऐसे तथ्य की सूचना द्वितीय अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में यथा स्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए अध्यक्ष को देगा.

सदस्य की रिहाई पर अध्यक्ष को सूचना.

172. जब कोई सदस्य बन्दी किया जाये और दोषसिद्धि के बाद अपील लंबित होने तक जमानत पर रिहा किया जाये या अन्यथा रिहा किया जाये, तो ऐसे तथ्य की सूचना भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा द्वितीय अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में अध्यक्ष को दी जायेगी.

दण्डाधिकारी से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही.

173. नियम 171 या नियम 172 में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने के बाद यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष, उसे सभा में पढ़कर सुनायेगा यदि वह सत्र में हो, या यदि सभा सत्र में न हो तो निर्देश देगा कि वह सदस्यों की जानकारी के लिये पत्रक में प्रकाशित कर दी जाय :

परन्तु यदि किसी सदस्य की जमानत पर रिहाई या अपील पर मुक्ति की सूचना सभा की मूल बन्दीकरण की सूचना दी जाने से पहले ही प्राप्त हो जाय, जो उसके बन्दीकरण या उसकी बाद में रिहाई या मुक्ति का तथ्य अध्यक्ष चाहे, तो सभा को सूचित न करे.

(ग) सभा के परिसर में वैध आदेश के निर्वहन और बन्दीकरण के बारे में प्रक्रिया.

सभा के परिसर में बन्दीकरण.

174. सभा के परिसर में अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई बन्दीकरण नहीं किया जायेगा.

वैध आदेश का निर्वहन.

175. सभा के परिसर में, अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी व्यवहारिक अथवा आपराधिक वैध आदेश का निर्वहन नहीं किया जायेगा.